न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 16 / 2020
जी.सी.एम.एस. : 2020 / 00237

1. अभिषेक पुनियां पुत्र श्री कृष्णकुमार पुनियां जाति बिश्नोई निवासी शास्त्री कलोनी रायसिहंनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर जरिए पिता खुद कृष्णकुमार पुनियां एडवोकेट

– प्रार्थी

बनाम

1. नगरपालिका रायसिहंनगर जरिये श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर ।

– अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1) आर टी एक्ट</u>

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार पुनियां, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री राजीव जग्गा, वकील अप्रार्थी

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 04.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत 32 एनपी के मु.नं. 7 में जाने के लिए अप्रार्थी नगरपालिका रायसिहंनगर की खातेदारी भूमि चक 32 एनपी के मु.नं. 6 के कि.नं. 1 से 5 में प्रत्येक 0.012है. भूमि रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तथा तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी।

आप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री राजीव जग्गा अधिवक्ता हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 32 एन पी के मु.न. 6 के कि.न. 1 ता 5 का रकबा नगर पालिका को नगरीय ठोस अवशिष्ट(प्रबन्धन एवं हथलन) प्रयोजन के लिए आवंटित रकबा हैं जिसका नामान्तकरण नगरपालिका रायसिहंनगर के नाम से दर्ज है। नगरपालिका द्वारा उक्त आवंटित रकबा में नगरीय ठोस अवशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथलन) के तहत प्लान्ट लगाया जा रहा है। नगरपालिका द्वारा टेण्डर जारी कर दिया गया है तथा कार्यकारी एजेन्सी द्वारा मौका पर कार्य भी जारी कर दिया गया है। प्रार्थी को चाहे गये रास्ता की उक्त भूमि को काश्त बाबत कोई आवश्यकता नहीं है व ना ही मौका पर चाहा गया रास्ता कभी चालू हुआ है तथा ना ही मौका पर चालू है व प्रार्थी अपने रकबा को अन्य रास्ता के जरिये आवागन कर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी के पास अपने रकबा को काश्त करने हेतु अन्य रास्ता के विकल्प है व प्रार्थी केवल मात्र अपनी व्यक्तिगत सुविधा, सुखमय रास्ता हेतु चाहा गया रास्ता प्राप्त करना चाहता है जिसका वह अधिकारी नहीं है, अगर चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो नगरपालिका के ,द्वारा लगाये जा रहे प्रोजक्ट में व्यवधान पैदा होगा क्योंकि प्रोजक्ट का नक्शा जारी होकर नक्शा अनुसार प्रोजक्ट कार्य का टेण्डर जारी होकर निर्माण शुरू हो चुका है। चाहा गया रास्ता वर्तमान में कृषि भूमि न होकर नगरपालिका क्षेत्र का रकबा है वा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि बाबत अन्य कृषि भूमि में ही रास्ता प्राप्त कर सकता है, कृषि के अलावा अन्य प्रयोजन की भूमि से रास्ता प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिकृति अधि0 1955 की धारा 251–क के तहत पोषणीय नहीं है तथा चलने लायक नहीं है वा माननीय न्यायालय में इस हेतु प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर पाने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायसिंहनगर ने रिपोर्ट क्रमांक 1550 दि. .12.2020 प्रेषित की। मुताबिक रिपोर्ट चक 32 एनपी के खाता सं. 5 प. 209 02 मु.नं. 7 के कि.नं. 5–6–7–13–14ता18–19–21–22ता25 की कुल 3.10है. ... कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई सा0 रायसिंहनगर के नाम से खातेदारी दर्ज है। ... अपने मु.नं. 7 में आने जाने के लिए मु.नं. 6 के कि.नं. 1ता5 प्रत्येक किला में से 0.012है. रास्ता चाहा गया है परन्तु मु.नं. ... नं. 1ता10–11 / 1–12 / 1–13 / 1–14 / 1–15 / 1 कुल ... 3है. नहरी भूमि नगरपालिका रायसिंहनगर के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। मौका पर नगरपालिका द्वारा उक्त रकबा के चारों तरफ पक्की दिवार का निर्माण किया जा रहा हैं। आवेदक के मु.नं. 7 के लिए इसी चक के मु.नं. 10–29–37 के कि.नं. 1–10–11–20–21 पत्येक में 0.025है. व चक 31 एनपी के मु.नं. 3 के कि.नं. कि.नं.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

1–10–11–20–21 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड हैं। जो कि प्रार्थी के मु.नं. 7 के कि.नं. 21 में लगता हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसील रिपोर्ट में प्रार्थी के भूमि मु.न. 7 में आने जाने के इसी चक के मु.न. 10–29–37 के कि.न. 1–10–11–20–21 व चक 31 एन पी के मु.न. 3 कि.न. 1–10–11–20–21 में पूर्व से रास्ता चल रहा है। जो प्रार्थी के मु.न. 7 के चिपता चल रहा है। क्योंकि प्रार्थी की जमीन चक 32 एन पी में स्थित है प्रार्थी का गांव ठाकरी से कोई सम्बन्ध में नहीं है, इसलिए इस रास्ता का कभी उपयोग नहीं हुआ । गांव ठाकरी प्रार्थी की भूमि से दक्षिण दिशा में करीब 8 मुरब्बा दूर है ओर कृषि उपज मण्डी रायसिहंनगर प्रार्थी की भूमि से करीब तीन किलो मीटर उत्तर की दिशा में स्थित है। प्रार्थी के द्वारा चाहा रास्ता 30–40सालों से चल रहा है। इस रास्ता से अन्य काश्तकारान भी अपने खेतों को जाते है। नगरपालिका रायसिहंनगर की भूमि में खेती नहीं होती है । नगरपालिका इस मुरब्बा में शहर का कचरा डालती है व शहर के गन्दे पानी को इक्क्ठा करने लिए बड़ी दो डिग्गीया बना कर गन्दा पानी इक्क्ठा करती है। अब नगरपालिका ने इसमें गन्दे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेन्ट पलांट लगा रखी है। जिस कारण इसे मुरब्बे के चारो ओर पक्की दिवार का निर्माण करवा रही है जिससे पुराना चालू रास्ता बन्द कर रही है। इसलिए प्रार्थी ने इस रास्ता को मन्जूर करवाने के लिए न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया है। नगरपालिका को निवेदन किया कि रास्ता बन्द ना करे तो प्रार्थी को कहा कि आप रास्ता मन्जूर करवा लो तो ही रास्ता में दिवार नहीं बनायेगें। हमें दिवार बनानी पड़ेगी । अब करीब 4–5 दिन पहले इस मुरब्बा की पश्चिमी दिवार का निर्माण करके रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थी ने नगरपालिका से सर्म्पक किया तो उनका यही कहना है कि हमने दिवार बनाने का ठेका दिया हुआ है। अतः उक्त विवाद स्थल भूमि रायसिहंनगर विजयनगर सड़क पर करीब 3–4 किलोमीटर की दूरी पर है। मौका निरीक्षण कर लिया जाकर प्रार्थना पत्र के निर्णय तक नगरपालिका रायसिंहनगर को आदेश दिया जावे कि इस मुरब्बा के उत्तर दिशा की दिवार निर्माण न करें।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की जमीन चक 32 एन पी में स्थित है प्रार्थी का गांव ठाकरी से कोई सम्बन्ध में नहीं है, इसलिए तहसील रिपोर्ट में दर्शाए गये रास्ता का कभी उपयोग नहीं हुआ। गांव ठाकरी प्रार्थी की भूमि से दक्षिण दिशा में करीब 8 मुरब्बा दूर है ओर कृषि उपज मण्डी रायसिहंनगर प्रार्थी की भूमि से करीब तीन किलो मीटर उत्तर की दिशा में स्थित है। प्रार्थी के द्वारा चाहा रास्ता 30–40सालों से चल रहा है। इस रास्ता से अन्य काश्तकारान भी अपने खेतों को जाते है। अतः धारा 251क आर.टी.ए के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के पहुंच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थी की भूमि चक 32 एनपी के मु.नं. 6 प.नं. 208/302 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येंक में 0.012 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टयांत आर आर डी नवम्बर, 2004 पेज स0 715 अनवान मदनचन्द आदि बनाम सोहनलाल आदि व आर आर डी मार्च, 2001 पेज स0 156 अनवान अजीजमुदीन आदि बनाम रूपदास आदि प्रस्तुत किये है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यदि प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता स्वीकार किया जाता हैं, तो नगरपालिका द्वारा लगाये जा रहे प्रोजक्ट मे व्यवधान पैदा होगा क्योंकि प्रोजक्ट का नक्शा जारी होकर नक्शा अनुसार प्रोजक्ट कार्य का टेंण्डर जारी होकर निर्माण शुरू हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा प्रार्थी को अपनी जोत में आवागमन हेतु अन्य रास्ता चक 32 एनपी के मु0न0 10, 29, 37 के कि0न0 1, 11 , 20, 21 प्रत्येंक में 0.025 है0 व चक 31 एन पी मु0न0 3 के कि0न0 1, 11 , 20, 21 में गैरमुमकीन रास्ता रिकार्ड दर्ज है, जो प्रार्थी की भूमि मु0न0 7 के कि0न0 21 में लगता है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि आ जा सकता है। चक 32 एन पी के मु.न. 6 के कि.न. 1 ता 5 का रकबा नगर पालिका को नगरीय ठोस अवशिष्ट(प्रबन्धन एवं हथलन) प्रयोजन के लिए आवंटित रकबा हैं जिस पर नगरपालिका द्वारा उक्त आवंटित रकबा में नगरीय ठोस अवशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथलन) के तहत प्लान्ट लगाया जा रहा है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का होना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:00:15 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner